आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–05/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री फेकु पाल —विक्रेता
प्रति
श्रीमती गीता देवी —क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री फेकु पाल, पिता–स्व० कैलाश पाल, ग्राम–सहिजता, पोस्ट–गढ़वा, थाना वो जिला–गढ़वा में नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती गीता देवी, पति–श्री आशीष पाल, ग्राम–महुपी, पोस्ट–हुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र मे वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंशा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 78/दिनांक 22.02.2022 के द्वारा प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी II के पृष्ट सं०–87/iv पर चलता है। विक्रेता जाति के पाल गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के पाल गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री फेकु पाल, पिता–स्व० कैलाश पाल, ग्राम–सहिजता, पोस्ट–गढ़वा, थाना वो जिला–गढ़वा ने क्रेता श्रीमती गीता देवी, पति–श्री आशीष पाल, ग्राम–महुपी, पोस्ट–हुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
सहिजना	345	143	625	$0.03^1/_4$	उ०–रास्ता, द०–नाहर, पू०–मुश्शी बैगा, प०–रास्ता,
			कुल रकबा:–	$0.03^1/_4$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

16/6/2022 — अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

16/6/2022 — अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:18:48 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner